कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद

गोकरननाथ रोड, बादशाहबाग, लखनऊ–226007

पत्रांकः 475/आरजीएम–मैत्री/यूपीएलडीबी/2026–27 दिनांकः 18.06.2026

विज्ञप्तिः स्वरोजगार हेतु मैत्री प्रशिक्षण

उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा भारत सरकार के **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आर0जी0एम0)** अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगारी मैत्री की स्थापना हेतु नवीन **स्वरोजगारी मैत्री (मल्टी परपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया)** के चयन एवं प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित हैं। सम्प्रति माह सितम्बर, 2026 तक 2500 मैत्री का प्रशिक्षण तथा मार्च 2027 तक बजट की उपलब्धता के आधार पर कुल 5000 मैत्री का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। अद्यतन 2500 अभ्यर्थियोंः सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 1870 एस.सी वर्ग–415 एवं एस.टी. वर्ग–215 अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से 03 माह–30 दिवसीय सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं 60 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कराते हुये इन्हें प्रदेश के 75 जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित/क्रियाशील किया जाना लक्षित है, जिसमें **महिला अभ्यर्थियों एवं पशु सखियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।**

मैत्री की स्थापना **पूर्णतः स्वरोजगार सृजन** की अवधारणा पर आधारित है, फलतः इनका किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार न होगा। आवेदन–पत्र, नियम शर्तें, आवेदन–पत्र का प्रारूप ऑनलाईन **मैत्री पोर्टल https://maitriupldb.in/** पर निश्चित् समयावधि के लिये उपलब्ध रहेगा। सुलभ संदर्भ सूचना परिषदीय वेबसाइटः **https://upldb.up.gov.in** पर भी उपलब्ध रहेंगी। ऑनलाईन आवेदन केवल उपरोक्त मैत्री पोर्टल पर ही मान्य है, ऑफलाईन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त पोर्टल पर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् प्राप्त प्रिन्ट आउट, आदि संबंधित जनपद के विकास भवन में जमा किये जा सकेगें।

ऑनलाईन आवेदन हेतु स्कैन करें।

मैत्री चयन हेतु ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है, यदि कोई अन्य संस्था इस प्रकार के आवेदन–पत्र जारी कर कोई शुल्क मांगती है अथवा किसी आवेदक द्वारा किन्हीं अन्य भ्रामक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है तो ऐसी किसी भी दशा में उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, लखनऊ इसके लिये किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया दिनांक–22.06.2026 से 30.06.2026–रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित है, जिसे यथा आवश्यकता दिनांक–05.07.2026, रात्रि 12.00 बजे तक अथवा आगे भी बढ़ाया जा सकता है''।

अनुरोध–किसान/पशुपालक भाई, पशु सेवार्थ यह प्रकाशन अपने स्तर से भी अधिक से अधिक प्रसारित करें।

डा0 प्रमोद कुमार सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, गोकरननाथ रोड, बादशाहबाग, लखनऊ–226007

पत्रांकः 475 आरजीएम–मैत्री / यूपीएलडीबी / 2026–27 दिनांकः 18 / 06 / 2026

विज्ञप्तिः स्वरोजगार हेतु मैत्री प्रशिक्षण

"भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आर0जी0एम0) अन्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर गौ एवं महिषवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुये कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन में वृद्धि के साथ–साथ पशुओं की दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि कर पशुपालक की आय बढ़ाने हेतु ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगारी मैत्री की स्थापना किया जाना लक्षित है। उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त प्रजनन सुविधाओं की उपलब्धता के ध्येय से मैत्री का चयन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नवीन **स्वरोजगारी मैत्री (मल्टी परपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया)** के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। सम्प्रति आर0जी0एम अन्तर्गत 2500 मैत्री का प्रशिक्षण माह सितम्बर, 2026 तक तथा मार्च 2027 तक बजट की उपलब्धता के आधार पर कुल 5000 मैत्री का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 1870 एस.सी वर्ग–415 एवं एस.टी. वर्ग–215 अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से 03 माह (30 दिवसीय सैद्धन्तिक प्रशिक्षण एवं 60 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण) का सैद्धन्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण कराते हुये इन्हे प्रदेश के 75 जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित / क्रियाशील किया जाना लक्षित है, जिसमें **महिला अभ्यर्थियों एवं पशु सखियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।**

मैत्री आवेदन से संबंधित आवेदन–पत्र, नियम शर्ते, आवेदन–पत्र का प्रारूप ऑनलाईन पोर्टल http://maitriupldb.in/ पर निश्चित समयावधि के लिये उपलब्ध रहेगा। सुलभ संदर्भ हेतु स्वरोजगारी मैत्री के चयन प्रशिक्षण हेतु नियम व शर्ते, आदि परिषदीय वेबसाईट http://upldb.up.gov.in/ पर भी उपलब्ध रहेगी। मैत्री प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जायेगी।

मैत्री की स्थापना **पूर्णतः स्वरोजगार सृजन** की अवधारणा पर आधारित है। फलतः चयनित एवं प्रशिक्षित मैत्री का किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा **(जैसा की शपथ पत्र में वर्णित है)**

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा जारी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है अर्थात यह पूर्णतः निःशुल्क है।

यदि कोई अन्य संस्था इस प्रकार के आवेदन–पत्र जारी कर कोई शुल्क मांगती है अथवा किसी आवेदक द्वारा किन्ही अन्य भ्रामक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है तो ऐसी किसी भी दशा में उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, लखनऊ इसके लिये किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।

मैत्री चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन केवल उपरोक्त वर्णित पोर्टल http://maitriupldb.in/ पर ही मान्य है, ऑफलाईन आवेदन किसी भी दशा में जनपद एवं परिषद मुख्यालय पर स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त पोर्टल पर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात प्राप्त प्रिन्ट आउट आदि संबंधित जनपद के विकास भवन में जमा किये जा सकेगें।

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया दिनांक–22.06.2026 से 30.06.2026–रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित है, जिसे यथा आवश्यकता दिनांक–05.07.2026, रात्रि 12.00 बजे तक अथवा आगे भी बढ़ाया जा सकता है''।

अनुरोध– किसान / पशुपालक भाई, पशु सेवार्थ यह प्रकाशन अपने स्तर से भी अधिक से अधिक प्रसारित करें।

18/6/26

(डा0 प्रमोद कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद्
लखनऊ।

(Sample Only)

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद

स्वरोजगारी मैत्री (मल्टी परपज ए0आई0 टेक्निशीयन इन रूरल इण्डिया) के प्रशिक्षण हेतु

अभ्यर्थी की नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो

आनलाईन आवेदन–पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता / पति का नाम : .....
3. जन्मतिथि : .....
   (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार)
4. दूरभाष / मो0 नं0 : .....
5. स्थायी पता : ग्राम ..... ग्राम पंचायत का नाम .....
   (एड्रेस प्रूफ की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
   न्याय पंचायत का नाम.....विकास खण्ड.....
   जनपद.....
6. पत्र–व्यवहार का पता : .....
7. ई–मेल : .....
8. शैक्षिक योग्यता : .....

क्र0सं0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1.	हाईस्कूल (विज्ञान वर्ग)					
2.	इण्टर (जीव विज्ञान)					

(स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

9. वोटर आई.डी. कार्ड नं0 / आधार कार्ड नं0 / पैन कार्ड नं0: .....(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)।
10. श्रेणी (सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति): .....(एस. सी. / एस.टी. श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)
11. राष्ट्रीयता .....

*इण्टर जीव विज्ञान के आवदेन ही मान्य होगें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
व दिनांक

घोषणा–पत्र

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं .....पुत्र / पुत्री / पत्नी .... निवासी ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... विकास खण्ड ..... जनपद ..... का निवासी हूँ। मैं आवेदन पत्र के साथ संलग्न नियम–शर्तों से पूर्णतः अवगत हूँ। मै पूर्णतः स्वस्थ हूँ एवं पशुपालक के द्वार पर पहुँच कर सेवा करने योग्य हूँ । यदि कोई विवरण / सूचना असत्य पायी जाती है या तथ्य मेरे द्वारा छिपाया पाया जाता है तो मेरा आवेदन चयनोपरान्त भी निरस्त कर दिया जाये।

स्थान : .....

दिनांक : .....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नोट : वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छाया–प्रति अवश्य संलग्न करें।

पत्रांकः475 आर.जी.एम.–मैत्री/यू.पी.एल.डी.बी./2026–27 दिनांकः18.06.26 का संलग्नक– 01

राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने हेतु स्वरोजगारी मैत्री की स्थापना

नियम–शर्ते निम्न प्रकार है :–

1:–

(क) **न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः– इण्टर (जीव विज्ञान) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।**

(ख) आवेदक चयनित क्षेत्र की ग्राम पंचायत का निवासी हो एवं उसके पास स्वयं का दो पहिया वाहन हो।

(ग) पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने के योग्य हो। पशुपालक के द्वार पर पहुँच कर सेवा कर सके।

(घ) राजकीय चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं शपथ पत्र को भौतिक सत्यापन के दौरान मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में जमा कराते हुए पोर्टल पर चयन हेतु अपलोड करना अनिवार्य है।

वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/पैन कार्ड आदि अन्य फोटो युक्त आई.डी. जो निर्वाचन आयोग से अनुमन्य है अपलोड करना अनिवार्य है।

(च) मैत्री चयन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंकों में समानता हो तो प्रथम दृष्टया प्रवासी श्रमिकों/पशु सखी/पैरावेट (जो वर्तमान में पशुचिकित्साधिकारी की देख–रेख में कार्य कर रहा हो) अभ्यर्थी को, तत्पश्चात् अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2:– आवेदक की आयु दिनांक 21.06.2026 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो।

3:– आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम तिथि** :–30.06.2026 रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित है, जिसे यथा आवश्यकता दिनांक 05.07.2026 रात्रि 12.00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

4:– यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है। आवेदक को किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को 30 दिनों का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण (कार्य दिवस) एवं 60 दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वरोजगारी मैत्री (मल्टी परपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया) के रूप में कार्य करने हेतु प्रमाण–पत्र, भारत पशुधन आई0डी0, प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी आई0डी0 (Identity Card), भारत पशुधन आई0डी0 एवं उपकरण (ए.आई. किट, कास्ट्रेटर, बायोलॉजिकल क्रायोकन्टेनर–3 ली0) इत्यादि उपलब्ध कराये जायेगें।

5:– समस्त मैत्री को स्थापना उपरान्त उनसे संबंधित ए.आई. केन्द्र पर भारत पशुधन एप पर अंकित कार्यों के आधार पर एवं कार्य के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान संबंधी समस्त संसाधन ससमय उपलब्ध कराये जायेंगे। साथ ही दिये गये इन संसाधनों का मुख्यालय द्वारा अनुश्रवण भी किया जायेगा।

6:– जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी के चयन से पूर्व भौतिक रूप से विकासखण्ड वार अभ्यर्थी की उपलब्धता/आवश्यकता का आकलन कर उस आधार पर ही अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की जाये, जिसकी सूचना आनलाईन मैत्री पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप पर एक्सल (Excel soft copy) में अपलोड करें एवं सूचना की पी.डी.एफ. परिषद के ई–मेलः upldbte@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

7:– **चयनित अभ्यर्थियों को चयनोपरान्त संबंधित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि वे एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेगें। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इसके लिए कभी दावा नही करेगें।**

8:– मैत्री का कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बन्द कर देने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में योजनान्तर्गत व्यय की गई धनराशि तथा समस्त उपकरण सही अवस्था में वापस करने के लिये वचनबद्ध रहेंगे।

9:– मुख्यालय द्वारा जनपद स्तर पर उनके द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा की जायेगी एवं अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान की मानक संचालन प्रकिया (SOP) के सापेक्ष कार्य न करने की दशा में मैत्री को उपलब्ध करायी गयी भारत पशुधन आई0डी0 से वंचित कर दिया जायेगा एवं उनके कार्य के सापेक्ष प्रोत्साहन राशि हेतु उनके द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा।

10:– चयन के उपरान्त आवेदनकर्ता को सक्षम स्तर से जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं शपथ पत्र मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

11:– मैत्री द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान कार्य को भारत पशुधन पर अंकन एवं सत्यापनोपरान्त डिजिटल डाटा को जनपदीय क्षेत्र में परिषद द्वारा सत्यापित करने के पश्चात् प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

12:– आवश्यक सूचना/अद्यतन जानकारी इस पोर्टल यू.आर.एल.-https://maitriupldb.in पर ही उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में पृथक से कोई भी सूचना नहीं दी जायेगी।

नोट :– **उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा जनपदवार चयन किये जाने वाले स्वरोजगारी मैत्री (मल्टी परपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया) की संख्या पोर्टल पर उपलब्ध है।**

पत्रांकः 475 /आर.जी.एम.–मैत्री/यू.पी.एल.डी.बी./2026–27 दिनांकः 18.06.26 का संलग्नक– 02

भारत सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत मैत्री स्थापना हेतु चयनित मैत्री हेतु शपथ–पत्र रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित किया जाये तथा नोटरी द्वारा सत्यापित करा कर संबंधित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में भौतिक सत्यापन के दिन शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा

शपथ–पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ग्राम ..... ग्राम पंचायत..... विकास खण्ड.....जनपद..... उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद गोकरननाथ रोड, बादशाहबाग, निकट पशु चिकित्सालय, लखनऊ के अन्तर्गत मैत्री (मल्टी परपज़ ए.आई. टेक्निशीयन इन रूरल इण्डिया) के रुप में प्रशिक्षित किये जाने हेतु नामित किया गया/की गयी हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मैं ग्राम .....ग्राम पंचायत.....(स्थान), विकास खण्ड..... जनपद..... का/की स्थायी निवासी हूँ। मैं समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुपालको के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान तथा समय–समय पर पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करने के लिए वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं यदि प्रशिक्षण के मध्य में बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षण छोड़ कर जाता/जाती हूँ तो मेरे प्रशिक्षण पर व्यय की गई धनराशि रु0 23000.00 (रु0 तेइस हजार मात्र) उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को वापस करने के लिए वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जाये।
3. यू0पी0एल0डी0बी0/पशुपालन विभाग द्वारा पशु प्रजनन कार्य हेतु (आर0जी0एम0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुसार) कार्य सम्पादित करने हेतु जो भी उपकरण एवं साज सामान मुझे उपलब्ध कराया जायेगा, मैं उनको संभाल कर रखूंगा/रखूंगी एवं इस सामान के रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। यह पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 की सम्पत्ति होगी तथा शपथ–पत्र के बिन्दु–1 में उल्लिखित कार्यो को संतोषजनक ढंग से सम्पादित न करने की अवस्था में पशुपालन विभाग/यू0पी0एल0डी0बी0 को समस्त उपकरण व साज–सामान सही हालत में लौटाने के लिये वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अन्यथा की स्थिति में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जिला प्रबन्धक द्वारा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जाये।
4. यू0पी0एल0डी0बी0/पशुपालन विभाग द्वारा समय–समय पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य में प्रयुक्त अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज व तरल नत्रजन का मूल्य निर्धारित दर के अनुसार यू0पी0एल0डी0बी0 को भुगतान करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
5. मेरे द्वारा किये गये पशुपालन कार्यो की मासिक प्रगति सूचना निर्धारित प्रारुप पर नियमित रुप से सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी एवं यू0पी0एल0डी0बी0 को प्रतिमाह प्रेषित करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
6. मैं केवल वही पशुपालन सम्बंधी कार्य, जिसके लिए प्रशिक्षित (आर0जी0एम0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुसार) तथा अधिकृत किया गया/गयी हूँ पशुपालको के द्वार पर उपलब्ध कराउंगा/कराउंगी।
7. यू0पी0एल0डी0बी0/पशुपालन विभाग द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण/मूल्यांकन के समय स्वयं उपस्थित रहकर कार्यो का निरीक्षण/मूल्यांकन कराने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।
8. मैत्री समस्त कार्य संबंधित पशुचिकित्साधिकारी की देख–रेख में ही करने हेतु प्राधिकृत है।
9. **यह योजना पूर्णतया स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है तथा मैं एक स्वरोजगारी के रुप में कार्य करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अतः शासकीय सेवा में मुझे किसी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नही होगा तथा मैं इसके लिए कभी दावा नहीं करुंगा/करुंगी।**
10. प्रशिक्षणोपरान्त मैं मैत्री के रुप में इस शपथ–पत्र में क्रम संख्या–1 से 8 तक वर्णित शर्तो पर कार्य करुंगा/करुंगी। मैत्री प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बन्द कर देने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा व्यय की गई धनराशि तथा समस्त उपकरण सही अवस्था में वापस करने के लिये वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता मैत्री

नाम :....., पिता का नाम .....,
पता : ग्राम– ....., पोस्ट–.....,
थाना–....., विकास खण्ड–.....,
जिला–....., पिन कोड–.....,
मो0नं0–....., ई–मेल आई.डी.–.....,

नोटरी द्वारा सत्यापित

पत्रांकः 475 आर.जी.एम.–मैत्री / यू.पी.एल.डी.बी. / 2026–27, दिनांकः - 18.06.26

राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत मैत्री प्रशिक्षण हेतु वर्षः 2026-27 का जनपदवार लक्ष्य

क0सं0	मण्डल का नाम	कं0सं0	जनपद का नाम	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग
1	आगरा	1	आगरा	45	10	5	60
		2	फिरोजाबाद	23	5	3	31
		3	मथुरा	45	10	5	60
		4	मैनपुरी	18	4	2	24
2	अलीगढ़	5	अलीगढ़	45	10	5	60
		6	कासगंज	23	5	3	31
		7	हाथरस	22	5	3	30
		8	एटा	11	2	1	14
3	अयोध्या	9	अयोध्या	7	2	1	10
		10	अमेठी	39	9	5	53
		11	अम्बेडकरनगर	7	2	1	10
		12	बाराबंकी	38	8	4	50
		13	सुल्तानपुर	10	2	1	13
4	आजमगढ़	14	आजमगढ़	24	5	3	32
		15	बलिया	14	3	2	19
		16	मऊ	7	2	1	10
5	बरेली	17	बरेली	23	5	3	31
		18	बदायूं	45	10	5	60
		19	शाहजहांपुर	38	8	4	50
		20	पीलीभीत	7	2	1	10
6	बस्ती	21	बस्ती	7	2	1	10
		22	संतकबीरनगर	7	2	1	10
		23	सिद्धार्थनगर	7	2	1	10
7	चित्रकूट	24	चित्रकूट	29	6	3	38
		25	महोबा	11	2	1	14
		26	हमीरपुर	10	2	1	13
		27	बाँदा	43	10	5	58
8	देवीपाटन	28	श्रावस्ती	9	2	1	12
		29	गोण्डा	45	10	5	60
		30	बहराइच	24	5	3	32
		31	बलरामपुर	12	3	1	16
9	गोरखपुर	32	गोरखपुर	7	2	1	10
		33	महराजगंज	7	2	1	10
		34	देवरिया	7	2	1	10
		35	कुशीनगर	7	2	1	10
10	झांसी	36	झांसी	30	7	3	40
		37	ललितपुर	43	10	5	58
		38	जालौन	32	7	4	43

पत्रांकः 475 आर.जी.एम.–मैत्री / यू.पी.एल.डी.बी. / 2026–27, दिनांकः 18.6.2026

राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत मैत्री प्रशिक्षण हेतु वर्षः 2026-27 का जनपदवार लक्ष्य

क0सं0	मण्डल का नाम	क0सं0	जनपद का नाम	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग
11	कानपुर	39	कानपुर नगर	38	8	4	50
		40	कानपुर देहात	39	9	5	53
		41	औरैया	27	6	3	36
		42	इटावा	21	5	2	28
		43	फर्रूखाबाद	40	9	5	54
		44	कन्नौज	43	10	5	58
12	लखनऊ	45	लखनऊ	18	4	2	24
		46	उन्नाव	7	2	1	10
		47	हरदोई	45	10	5	60
		48	रायबरेली	45	10	5	60
		49	लखीमपुरखीरी	45	10	5	60
		50	सीतापुर	45	10	5	60
13	मेरठ	51	मेरठ	30	7	3	40
		52	गाजियाबाद	12	3	1	16
		53	हापुड़	7	2	1	10
		54	बुलन्दशहर	45	10	5	60
		55	बागपत	31	7	4	42
		56	गौतमबुद्धनगर	25	6	3	34
14	मिर्जापुर	57	मिर्जापुर	44	8	5	57
		58	भदोही	15	3	2	20
		59	सोनभद्र	33	6	4	43
15	मुरादाबाद	60	मुरादाबाद	8	2	1	11
		61	बिजनौर	29	6	3	38
		62	संभल	46	9	5	60
		63	अमरोहा	32	7	4	43
		64	रामपुर	11	3	1	15
16	प्रयागराज	65	प्रयागराज	45	9	5	59
		66	प्रतापगढ़	44	9	5	58
		67	कौशाम्बी	7	2	1	10
		68	फतेहपुर	26	6	3	35
17	सहारनपुर	69	सहारनपुर	11	3	1	15
		70	मुजफ्फरनगर	7	2	1	10
		71	शामली	7	2	1	10
18	वाराणसी	72	वाराणसी	11	2	1	14
		73	चन्दौली	37	7	4	48
		74	गाजीपुर	20	5	2	27
		75	जौनपुर	46	9	5	60
योग				1870	415	215	2500